

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

सबके लिये आवास योजनाधीन आम सूचना प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सरकार 2022 तक सभी इच्छुक व्यक्तियों को आवास मुहैया करवाने का उद्देश्य रखती है, इसी के तहत राँची में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निगम के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से, (जो निम्नलिखित अर्हता पूरी करते हों), विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। जो व्यक्ति पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत आवेदन दे चुके हैं, वे नया आवेदन नहीं देंगे।

1. लाभार्थी की पात्रता:-

- i. लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- ii. Ews कोटि हेतु आय 3.0 लाख वार्षिक से कम हो
- iii. LIG कोटि हेतु आय 3-6 लाख वार्षिक हो

2. आवेदन के साथ दिये जाने वाले कागजात:-

- i. भारत के किसी भी भाग में अपने अथवा अपने परिवार के नाम से किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं होने का शपथपत्र,
 - ii: वार्षिक आय शपथ पत्र ,
 - iii. जमीन का स्वामित्व पत्र
 - iv. बैंक खाता विवरण
 - v. आधार/मतदाता पहचान पत्र/अन्य विशिष्ट पहचान संख्या की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकानस्वामित्व के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं परिवार का फोटो।
- आवेदन फार्म कहीं से प्राप्त करें - www.ranchimunicipal.com से Download करें।
 - आवेदन कहीं जमा करें - अपने संबंधित वार्ड पार्षद कार्यालय
 - आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि - 31.03.2016

ह0/-
नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापक582..... राँची/दिनांक8/3/16.....

ज्ञापांक राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- श्री अमित कुमार (GIS Specialist), Nodal Officer Online Advertisement को इस निदेश के साथ कि इस सूचना के स्थानीय समाचार पत्रों के अंक में प्रकाशन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

ह0/-

नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक 580 राँची/दिनांक 08/03/16

प्रतिलिपि :- श्री राजेश कुमार को आवेदन प्रपत्र के साथ इस सूचना को निगम website में upload करने हेतु प्रेषित।



नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।



Wspolno -

प्रारूप ख - लाभार्थी से मांगी जाने वाली सूचना*

1. परिवार के मुखिया का नाम			
2. लिंग [पुरुष: 01, महिला: 02]			
3. पिता का नाम			
4. वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा			
i. मकान सं.			
ii. ब्लॉक का नाम			
iii. शहर			
iv. मोबाइल संख्या			
5. स्थाई पता			
i. मकान/फ्लैट/द्वार सं.			
ii. गली का नाम			
iii. शहर/गांव			
iv. जिला, राज्य			
6. मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा [स्वामित्व - 01, किराया - 02, अन्य - 03]			
7. छत के आधार पर मकान का प्रकार [पक्का (सीमेंट कंक्रीट और पत्थर वाला)-01, अर्द्ध-पक्का (सीमेंट की चादर / स्टील की चादर, टाइल से बने हुए)-02, कच्चा (घास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी से बना)-03]			
8. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या			
9. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र)			
10. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु			
परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र
11. धर्म [हिन्दू-01, मुस्लिम-02, ईसाई-03, सिक्ख-04, जैन-05, बौद्ध- 06, पारसी-07, अन्य(उल्लेख करें)]			
12. जाति [सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]			
13. बैंक का ब्यौरा			
क. बैंक खाता संख्या			
ख. बैंक और शाखा का नाम			



14. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या
 [0 से 1 वर्ष - 01, 1 से 3 वर्ष - 02, 3 से 5 वर्ष - 03, 5 वर्ष से अधिक - 04]
15. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्ग मीटर में)
16. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है? (हां/नहीं)
 ग. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।
 (बस्ती/ शहर/ राज्य)
 घ. यदि हां, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।
17. रोजगार की स्थिति
 (स्व-रोजगार - 01, वेतनमोगी - 02, नियमित मजदूरी - 03, मजदूर - 04, अन्य - 05)
18. परिवार की औसत मासिक आय (रूपए में)
19. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां / नहीं)
 क. यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें।
20. परिवार की आवास आवश्यकता
 (नया घर - 01, वृद्धि - 02)
21. वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।
 [एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]
22. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत सभी के लिए
 आवास (एचएफए) के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है
 i. ऋण से जुड़ी सन्निही - 01
 ii. भागीदारी में किरायेती आवास - 02
 iii. स्व-निर्माण - 03

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट: आवाज स्वयं सहायता और उन स्वयं सहायता के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा जिनके लिए "सभी के लिए आवास" स्कीम के दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं. 24 पर सभी के लिए आवास कार्य योजना के फ्लो-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्वयं पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।

उपयुक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर